बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02–बी01 53/2010 1795 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– जिला उपभोक्ता फोरम के रिक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि वर्ष 1997 में सभी जिला फोरमों के रिक्त वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मचारियों को समायोजन के आधार पर नियुक्त किया गया था। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों में अधिकांश अब सेवानिवृत/मृत हो चुके है तथा जो कर्मचारी शेष बचे हुये है वे भी सेवानिवृति के कगार पर है। फोरम के अधिकांश कर्मियों के सेवानिवृति के कारण कार्यालय का दैनिक कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। कतिपय जिला फोरमों में एक भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कार्यरत नही रहने के कारण फोरम कार्यालय में झाड़ु लगाने अथवा ताला खोलना भी संभव नही हो रहा है। चौकीदार के अभाव में कार्यालय के अभिलेख की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

वर्ष 1997 के निर्णयानुसार इस श्रेणी के कर्मियों का संवर्ग जिला स्तरीय है जिसके संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी जिलाधिकारी ही है। जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की प्रकृति की विशिष्टता को मददेनजर रखते हुये सिर्फ वर्ग 3 के रिक्त पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से केन्द्रीयकृत रोस्टर के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि जिला फोरम के रिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के प्रावधानों के आलोक में रोस्टर का अनुपालन करते हुये नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाय एवं सूचना विभाग को भी दी जाय। ज्ञातव्य हो कि जिला उपभोक्ता फोरम, सारण (छपरा) से संबंधित समादेश याचिका का निस्तार करते हुये मा0 पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निंदेश पारित किया गया है। कृपया प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/- 4/03/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02–बी01 53/2010 1795 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 4/03/2011
प्रधान सचिव